

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद

पत्रांक :- 2256 /46एम0(अमरोहा)-मु0क्षे0/20

दिनांक 31/07/2020

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अमरोहा।

विषय :- उ0प्र0 रो0साईड लैंड कंट्रोल एक्ट के अन्तर्गत नहतौर नूरपुर अमरोहा जोया मार्ग(राज्य मार्ग सं0-77) के किमी0-53 चैनेज 52.421 पर भारत पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ :- अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत्त, लो0नि0वि0, मुरादाबाद का पत्रांक-407/105काम-मु0वृत्त/19 दिनांक 18.02.2020, वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (सा0) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सामान्य वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ का पत्रांक-6191एम0टी0/सामान्य वर्ग/60एम0टी0/1999(25) दिनांक 17.07.2020 एवं अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अमरोहा का पत्रांक-2247/आपत्ति प्रमाण-पत्र/20 दिनांक 31.07.2020

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (सा0) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सामान्य वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ का पत्रांक-6191एम0टी0/सामान्य वर्ग/60एम0टी0/1999(25) दिनांक 17.07.2020 द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक-1021/46एम0-मु0क्षे0/20 दिनांक 20.03.2020 प्रेषित प्रकरण अपनी टिप्पणी उपरान्त इस कार्यालय को प्रेषित किया गया था जो अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अमरोहा को मुख्यालय, लखनऊ द्वारा दी गयी टिप्पणी के क्रम में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अमरोहा के पत्र दिनांक 31.07.2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के क्रम में रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों यथा प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख, चेकलिस्ट एवं मानचित्र के आधार पर सैद्धान्तिक/अनन्तिम अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. मार्ग के मध्य बिन्दु से दोनो ओर 220 फीट की दूरी तक कोई भी स्थायी निर्माण न किया जाये।
2. प्रस्तावित निर्माण स्थल पर मार्ग के मध्य बिन्दु से मानचित्र में दर्शायी गयी 18.29 मी0 की दूरी के बाद ही अस्थायी निर्माण किया जाये। (विस्तृत मानचित्र संलग्न)
3. विभिन्न मद का निर्माण कार्य गाईडलाइन के पृष्ठ सं0-24 के अनुसार मानचित्र में दर्शायी गयी माप एवं मानक विशिष्टियों के अनुरूप ही सम्पादित किया जाये।
4. समस्त निर्माण, मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शों के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री का एकत्रीकरण मार्ग की स्थायी भूमि पर कदापि न किया जाये।
5. प्रस्तावित स्थल नहतौर नूरपुर अमरोहा जोया मार्ग (राज्य मार्ग) पर चैनेज 52.421 के बायीं ओर स्थित है।
6. प्रस्तावित निर्माण स्थल पर आने जाने हेतु पहुँच मार्ग का निर्माण (संलग्न मानचित्र) के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुसार आवेदक को स्वयं अपने निजी व्यय पर करना होगा।
7. रिटेल आउटलेट से पानी की समुचित निकासी हेतु पुलिया व नाली के निर्माण से सम्बन्धित ले आउट प्लान, पुलिया व नाली की परिकल्पना लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार की जाये तथा इसका अनुमोदन कार्य कराने से पूर्व सम्बन्धित अधिशाली अभियन्ता से कराना होगा।
8. रिटेल आउटलेट की स्थापना के फलस्वरूप यातायात की सुरक्षा हेतु आवश्यक साईनबोर्ड एवं रोड मार्किंग की व्यवस्था आवेदक को निजी व्यय पर कराना होगा।
9. भू-स्वामित्व का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु दी गयी अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
10. लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही कार्य कराना होगा। इस शर्त के लिये किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। उक्त परिस्थिति में निर्गत अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जाएगी तथा आवेदन को पुनः अनापत्ति प्राप्त करना होगा।
11. मार्ग के प्रयोग में लाये जाने हेतु यदि भविष्य में कोई किराया निर्धारित किया जाता है तो उसका वहन सम्बन्धित कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

19-8-20
कुमार अविनाश
प्रदेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, कैसर गंज
मेरठ-250002 (उ0प्र0)

12. अनापत्ति प्रमाण पत्र लाइसेंस डीड के हस्ताक्षर उपरान्त 10 वर्ष के लिए वैध होगा। लीज डीड के वैधता तिथि के 06 माह पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदक का समस्त दस्तावेजों सहित पुनः आवेदन करना होगा।
13. शासनादेश में निहित प्राविधानुसार लाइसेंस फीस ₹0 3.00 लाख एवं प्रोसेसिंग फीस ₹0 10,000.00 जमा करायी जाये।
14. शासन एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-2) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
15. नीति निर्देशों को उच्च स्तर से किन्हीं अन्य प्रकार से व्याख्यापित किया जाता है, तो उक्त सैद्धान्तिक/अनन्तिम अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
16. शासनादेश सं0-1882/23-12-19-1365/ 17टी0सी0 दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 द्वारा निर्गत गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
17. पहुँच मार्ग के निर्माण की विशिष्टियाँ शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार प्राविधानित किया जाएगा। विशिष्टियाँ एवं इसके प्रयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियों को सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता से पूर्व से ही अनुमोदित कराना होगा।
18. भविष्य में मार्ग की श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होता है तो सैद्धान्तिक/अनन्तिम अनापत्ति पर तत्सम्बन्धी मानक लागू होंगे एवं इस हेतु पुनः नई अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।
19. इस प्रकरण में Clustering उत्पन्न हो रही है जिस हेतु अलग से सर्विस रोड के लिये शपथ पत्र संलग्न किया गया है। अतः सर्विस रोड के निर्माण की शर्त पर प्रकरण में सैद्धान्तिक/अनन्तिम अनापत्ति प्रमाण-पत्र की संस्तुति की जाती है।
20. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन द्वारा निर्गत गाइडलाइन बिन्दु सं0-4,5,6- However if such barriers are located on service roads only and are separated from the main carriageway, then this requirement shall not apply" के अनुसार अनापत्ति पत्र जारी किया जा सकता है। यदि उक्त की व्याख्या में अन्य तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं तो सैद्धान्तिक/अनन्तिम अनापत्ति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।
21. उक्त सैद्धान्तिक/अनन्तिम अनापत्ति नीति निर्देशों के प्रस्तर 13.2 के प्राविधान के अन्तर्गत सैद्धान्तिक/अनन्तिम अनापत्ति दी जाती है तथा यदि प्रस्तर 13.3 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जाती है तो उक्त सैद्धान्तिक/अनन्तिम अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
22. सर्विस रोड का निर्माण नीति निर्देशों के साथ संलग्न मानचित्र के अनुसार किया जाये।

उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धों/शर्तों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में सैद्धान्तिक/अनन्तिम अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संलग्न:- 1-मानचित्र एक प्रतियों में।

2-एनक्जर एवं चैक लिस्ट।

3-अधी0अभि0, मुरादाबाद का पत्र सं0-407/105काम

मु0वृत्/19 दि0 18.02.2020 के पत्र की छाया प्रति।

(विनय प्रकाश)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत्, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को उनके पत्रांक-407/105काम-मु0वृत्/19 दिनांक 18.02.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

19-8-20
कुमार आवेनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज
मेरठ-250002 (उ0प्र0)



- NOTES:
1. VENT PIPE 4.00M HIGH END COVERED WITH TWO LAYERS OF BRASS WIRE GAUGE 11 MESH PER LINEAR CENTIMETER.
 2. FILL POINTS FITTED WITH CAM LOCK COUPLING & AIR TIGHT TUBED END.
 3. DIP PIPE WITH CAM ASSEMBLY.
 4. ALL ELECTRICAL FITTINGS ARE F.P.P. CATEGORY TO S2148.
 5. ALL DOORS OF BUILDING TO BE OPENED OUTWARD.
 6. NO SUMPS OR SURFACE DRAIN WITHIN 6.0M OF THE UG TANK AND D.U.
 7. PREMISES TO BE USED ONLY STORAGE OF PETROLEUM PRODUCT.
 8. TANKS ARE PAINTED WITH TWO LAYERS OF HOT BITUMEN OVER TWO COATS OF RED OXIDE PRIMER TO PROTECT AGAINST CORROSION.
 9. FABRICATION DESIGN OF UG STORAGE TANK ARE CONFORMING TO IS:10957:1992 AS PER C.C.O.E. NAGPUR ORDER NO. G-40(C)/PMSC/94 DT-24-02-99.
 10. ALL DIMENSIONS ARE IN MM UNLESS OTHERWISE NOTED.
 11. S.B.-SAND BUCKET 4000S AS PER EXPLOSIVE RULE.
 12. F.E.-FIRE EXTINGUISHERS 4000S AS PER EXPLOSIVE RULE.
 13. TANK SHELL TO BE GIVEN HYDRAULIC PRESSURE TEST PRIOR TO INSTALLATION AND BEFORE ANY PROTECTIVE COATING IS APPLIED. THE TEST SHOULD BE MAINTAINED AS A CONTROLLED PRESSURE OF 30 KGS/CM FOR 2 HOURS.
 14. DIP RODS SUPPLIED WITH THE TANK FOR THE TYPE OF INSTALLATION SHOULD BE 3200MM LONG INSTEAD OF 2350MM.
 15. FABRICATION THICKNESS OF SHELL PLATE AND END PLATE OF TANK 30K. SHELL - 6MM. END - 4MM.
 16. TANKS CONFORM TO IS:12125 & IS:131 OF THE PR-2002.
 17. ALL LIGHT POLES ARE FITTED AS PER APPROVAL OF C.C.E. NAGPUR VIDE LETTER NO. P-11/JMD/DT-26-11-1963.
 18. NATURAL DOWN SLOPE FROM EDGE OF THE METALLIC ROAD TO CULVERT ON APPROACHES WILL BE MAINTAINED FREE FLOW OF WATER TOWARDS DRAIN.
 19. SITE MEETS APPLICABLE IRC:1983 NORMS LATEST AMENDMENTS.
 20. E.V.-EXTENDED VENT PIPES.
 21. THE PROPOSED SITE IS FREE FROM ANY TYPE OF LITIGATION AND NO CASE IS PENDING IN ANY COURT OF LAW.
 22. THERE IS NO OVERHEAD H.T. LINE PASSES THROUGH THE PLOT.
 23. DRAWING PREPARED AS PER MORT AND HIGHWAY GUIDE LINES.
 24. SHEET NO. R/W/13-302/19 99-10. III DATED 17.10.2009 FIG. 3
 25. APPLICABLE L.R.C. NORMS ARE MET.

PUMP DETAIL				
S.NO.	PRODUCT	CLASS	CONNECT TO TANK	
MPD-1 (2X4X2)	MSHSD	A/B	T-1 & T-2	
MPD-2 (2X4X3)	MSMS	A/A	T-3	
MPD-3 (2X4X2)	MSHSD	A/B	T-1 & T-2	

TANK TABLE				
S.NO.	PRODUCT	CAPACITY	LENGTH(M)	DIAM(M)
T-1	HSD	20KL	6.75	2.00
T-2	MS	15KL	5.00	2.00

NOTE : ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS & METER UNLESS OTHERWISE NOTED.

Bharat Petroleum Corporation Limited

SCALE : AS SHOWN NORTH :
DATED : 04.10.2019
DRG NO. : UP/CA/AMROHA (WML)

SUBJECT:
LAYOUT PLAN OF NEW RETAIL-OUTLET
AMROHA (WML) ON
JOYA-BIJNOR ROAD, TEHSIL-AMROHA
KHASRA NO. : 2958/1,2 (PART OF)
TEHSIL : AMROHA
POL. STN. : AMROHA
NEAREST RLY : AMROHA
DISTRICT : AMROHA (U.P.)
PIN CODE : 244221
PLOT AREA : 620.00 SQ.M.

PREPARED BY :
MANAGER (Construction)
B.P.C.L., Meerut.

कुमार अविनाश
प्रारंभिक प्रयत्न (सिल)
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आर. का. मकान, कानपुर
पिन-200002 (कानपुर)
19-8-20
कुमार अविनाश
प्रारंभिक प्रयत्न (सिल)
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आर. का. मकान, कानपुर
पिन-200002 (कानपुर)
19-8-20
एम. ब्रह्मा (M. Brahmbh)
प्रयत्नक अधिकारी (सिल)
नेरट रिजल, देहली
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आर. का. मकान, कानपुर, पिन-200002

